

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०- 629/2021

सकाधि- 11/सोनपुर के टिप्पणी सं०-का/227/एसएस/सीजी/ग्रुप-डी/प्रशिक्षण/सोन/16 दिनांक 13.09.2021 के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर सुश्री कविता कुमारी, पिता-स्व० अशोक भूतपूर्व मोटर वाहन चालक/समाडि/सोनपुर को आदेशपाल के पद पर वेतनमान 5200-20200+जीपी 1800 (लेवल-01 7<sup>th</sup> CPC के अनुसार) एवं समय-समय पर स्वीकार अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सामने अंकित ZRTI/मुज० में पदस्थापित किया जाता है।

क सं०	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम एवं समुदाय	जन्म तिथि	मेडिकल श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापित पद एवं स्थल
1.	सुश्री कविता कुमारी पिता-स्व० अशोक भूतपूर्व मोटर वाहन चालक/ समाडि/सोनपुर (SC)	15.01.2000	सी-2	इंटर	आदेशपाल/ZRTI/मुज०

एक नाम मात्र।

उपरोक्त अभ्यर्थिनी ग्रुप-डी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे एवं आवश्यकतानुसार इन्हें रेलवे के प्रादेशित सेना से सात वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि तक सेवा करनी होगी। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना पुलिस द्वारा चारित्रित जाँच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिषद के पत्र सं०-एन/ई/111/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.01.04 से लागू नये पेंशन पध्ति से शासित होंगे।

सुश्री कविता कुमारी के आवश्यक पहचान हेतु सत्यापित फोटो,हस्ताक्षर का नमूना एवं अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।

फोटो	हस्ताक्षर का नमूना	बायें हाथ के अंगूठे का निशान
	 Kavita Kumari	

उपरोक्त पर वमकाधि/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार मंडल)  
सकाधि- 11/सोनपुर

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोनपुर  
दिनांक 15.09.2021

पत्रांक-का/227/नया भर्ती/कार्मिक/सोन/2016

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. वमविप्र
2. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुज०
3. सकाधि- 1,111/सोनपुर
4. मुकार्याधी/विल एवं भर्ती/प्रशासन/सोनपुर
5. संबंधित अभ्यर्थिनी एवं इनके निजी मिसिल
6. कार्यालय आदेश प्रति
7. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोनपुर